सचिवालय
भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

सं.182/12/1/2016 **दिनांक: 03.08.2017**

<u>परिपत्र</u>

विषय: भारत निर्वाचन आयोग, सचिवालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के 02 पदों को, लेवल 10 में {पे बैंड-3, रु.15600-39100/-, संशोधन-पूर्व वेतनमान में 5400/-रु. के संगत ग्रेड वेतन के साथ} प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में सहायक निदेशक (राजभाषा) के 02 पदों को, लेवल 10 में {पे बैंड-3, रु.15600-39100/-, संशोधन-पूर्व वेतनमान में 5400/-रु. के संगत ग्रेड वेतन के साथ} प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार/राज्य सरकारों में सदृश पद धारित करने वाले ऐसे अधिकारी जो अंतिम तारीख अर्थात् **17.09.2017** को **56** वर्ष से कम आयु के हों, पात्रता मानदंडों की पूर्ति करते हों और ऐसे नीचे निर्धारित किए गए अनुसार योग्यताएं/अनुभव रखते हों, इस पद के आवेदन करने के लिए पात्र हैं:-

(क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद का धारण करते हों;

या

(ii) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-2 में रु.**9300-34800** के वेतनमान सहित **4800**रू/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उसी ग्रेड में दो वर्ष की सेवा की हो;

या

(iii) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-2 में रु.**9300-34800** के वेतनमान सहित **4600**रू/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उसी ग्रेड में तीन वर्ष की सेवा की हो;

या

(iv) मूल संवर्ग या विभाग में पे बैण्ड-2 में रु.**9300-34800** के वेतनमान सहित **4200**रू/- के ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर नियुक्ति होने के पश्चात उसी ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा की हो; और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हों:

(I) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप मे हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप मे हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रूप मे हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो;

या

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप मे हो; और

(II) केन्द्रीय सरकारी संगठन में हिन्दी में शब्दावली विषयक कार्य करने और/या अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमतः अनुवाद करने, अधिमानतः तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य हो, में पाँच वर्ष का अनुभव हो;

या

केन्द्रीय सरकारी संगठान में हिन्दी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पाँच वर्ष का अनुभव हो।

3. इस पद के लिए जॉब प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(i) अंग्रेजी से हिन्दी में और विलोमतः अनुवाद करना और उसका पुनरीक्षण करना।

(ii) संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्टॉफ को राजभाषा अधिनियम, राजभाषा और हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित सरकारी नियमों एवं आदेशों से अवगत कराना और उन्हें लागू करने मे उनकी मदद करना।

(iii) अपने विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों, अनुभागों, कम्पनियों और निगमों इत्यादि में हिन्दी शिक्षण योजना और राजभाषा नीति से संबंधित राजभाषा अधिनियम और आदेशों के उपबंधों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना।

(iv) समय-समय पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना और उचित माध्यम से राजभाषा विभाग के साथ संपर्क बनाए रखना।

(v) हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संदर्भ एवं सहायक साहित्य तैयार करना और हिंन्दी सीखने और सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग करने में अधिकारियों एवं स्टॉफ की सहायता करना।

(vi) हिन्दी अधिकारियों/अनुवादकों की सेवाएं, जहां तक संभव हो, केवल अनुवाद और राजभाषा कार्यान्वियन कार्य के लिए उपयोग में लाई जानी चाहिए क्योंकि इन्हीं कार्यों के लिए इन पदों का सृजन किया गया है। केवल उसी दशा में जबकि अपेक्षित हिंदी कार्य वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्यों के अनुसार पूरा कर लिया जाए, हिंदी पदों के प्रति कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को अनुवाद एवं राजभाषा नीति के कार्यान्वियन से संबंधित कार्य के इतर कोई अन्य कार्य सौंपा जाना चाहिए बशर्ते उन्हें समय मिले।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग में या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. ऐसे अधिकारियों की पिछले **3** वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-।) में आवेदन **17.09.2017** को या उससे पहले प्रधान सचिव (प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001** को, केवल उचित माध्यम से, अग्रेषित किए जाएं जिन्हें उनका चयन होने की दशा में **15** दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, उचित माध्यम के बिना प्राप्त या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.**6/8/2009**-स्था(वेतन-।।) दिनांक **17.06.2010**, समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

7. ऐसे अधिकारी को, जो पद के लिए आवेदन करते हैं, बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय परिपत्र वापस लेने/नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी.सी.पात्रा)
सचिव
दूरभाष: 23052079

प्रति: (i) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों/लोक उपक्रमों में परिचालित करें।
(ii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

अनुबंध-I

जीवन वृत प्रोफार्मा

1. नाम एवं पता (बड़े अक्षरों में)
2. जन्मतिथि (ईस्वी सन् में)
3. सेवानिवृत्ति की तारीख
4. शैक्षणिक योग्यताएं
5. वह सेवा जिससे सम्बन्धित हैं
6. क्या अजा/अजजा हैं
7. नियोजन का विवरण (कालक्रमानुसार)। यदि नीचे स्थान अपर्याप्त है तो अपने हस्ताक्षर द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणिकृत एक पृथक पत्रक संलग्न करें।

कार्यालय/संस्थान/संगठन	धारित पद	से	तक	वेतनमान एवं मूल वेतन	कर्तव्यों का स्वरूप

8. वर्तमान नियोजन का स्वरूप अर्थात तदर्थ या (अस्थायी) अर्ध-स्थायी या स्थायी
9. यदि वर्तमान नियोजन प्रतिनियुक्ति/संविदा आधार पर धारित हे तो कृपया बताएं:
   (क) प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख
   (ख) प्रतिनियुक्ति/संविदा पर नियुक्ति की अवधि
10. वर्तमान नियोजन के बारे में अतिरिक्त विवरण। कृपया बताएं कि किसके तहत काम कर रहे हैं:
    (क) केन्द्रीय सरकार
    (ख) राज्य सरकार
    (ग) स्नायत्तशासी संगठन
    (घ) सरकारी उपक्रम
11. क्या आप संशोधित वेतनमान में है? यदि हां तो वह तारीख बताएं जब संशोधन हुआ था। साथ ही, संशोधन-पूर्व वेतनमान भी बताएं।
12. वर्तमान में प्रति महीने आहरित कुल परिलब्धियां
13. ऐसी अतिरिक्त जानकारी, यदि कोई हो, जिसका पद के लिए अपनी उपयुक्तता के समर्थन में आप उल्लेख करना चाहेंगे। यदि स्थान अपर्याप्त है तो एक पृथक पत्रक संलग्न करें।
14. अभ्युक्तियां

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
पता:

नियोक्ता द्वारा अग्रेषण टिप्पणी

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

(i) उपर्युक्त प्रोफार्मा में दी गई जानकारी आवेदक के सेवा अभिलेख के अनुसार सही है।
(ii) आवेदक सतर्कता दृष्टिकोण से मुक्त है।
(iii) आवेदक की सत्यनिष्ठा संदेह से परे है।
(iv) पिछले 10 वर्ष में आवेदक पर कोई भारी/साधारण शास्ति अधिरोपित नहीं की गई है।
(v) आवेदक के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारी ने उपर्युक्त पद के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को अपना अनुमोदन दे दिया है।
(vi) आवेदक का एसीआर डोजियर आवेदन के साथ संलग्न है।

**(नियोक्ता की ओर से अधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता के मुहर सहित हस्ताक्षर)**

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-**110001**

सं.182/12/1/2017 **दिनांक: 03.08.2017**

<u>परिपत्र</u>

विषय: भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के 01 (एक) पद को, पे मैट्रिक्स के लेवल 7 में {पे बैंड-2, रु.9300-34800/-, संशोधन-पूर्व वेतनमान में 4600/-रु. के संगत ग्रेड वेतन के साथ} प्रतिनियुक्ति आधार पर भरना।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय में वरिष्ठ हिंदी अनुवादक के **01 (एक)** पद को, लेवल **7** में {पे बैंड-**2**, रु.**9300-34800**/-, संशोधन-पूर्व वेतनमान में **4600**/-रु. के संगत ग्रेड वेतन के साथ} प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने का प्रस्ताव है।

2. भारत सरकार/राज्य सरकारों में सदृश पद धारित करने वाले ऐसे अधिकारी जो अंतिम तारीख अर्थात् **17.09.2017** को **56** वर्ष से कम आयु के हों, पात्रता मानदंडों की पूर्ति करते हों और नीचे निर्धारित किए गए अनुसार योग्यताएं/अनुभव रखते हों, इस पद के लिए आवेदन करने के पात्र हैं:-

(क) **(i)** नियमित आधार पर सदृश पद धारण करते हों;

(ii) पे बैण्ड-2, रु.**9300-34800** के संशोधन-पूर्व वेतनमान और **4200**/- रू. के ग्रेड वेतन या समतुल्य में पदों पर छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;

(iii) पे बैण्ड-1, रु.**5200-20200** के संशोधन-पूर्व वेतनमान और **2800**/- रू. के ग्रेड वेतन या □□ समतुल्य में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो;

और

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हों:

अनिवार्य:

(क) **(i)** किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या

(ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में हो या

(iii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर हिंदी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या

(iv) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक डिग्री स्तर पर हिंदी एक विषय के रूप में हो और

(v) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ स्नातक उपाधि स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो।

(ख) (i) हिन्दी में शब्दावली विषयक कार्य करने और/या अंग्रेजी से हिन्दी में या विलोमत: अनुवाद करने, अधिमानत: तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य हो, में तीन वर्ष का अनुभव हो या

(ii) हिन्दी में शिक्षण, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का तीन वर्ष का अनुभव हो।

3. इस पद के लिए जॉब प्रोफाइल निम्नानुसार है:

(i) अंग्रेजी से हिन्दी में और विलोमत: अनुवाद करना और उसका पुनरीक्षण करना।

(ii) संबंधित विभागों के अधिकारियों और स्टॉफ को राजभाषा अधिनियम, राजभाषा और हिन्दी प्रशिक्षण से संबंधित सरकारी नियमों एवं आदेशों से अवगत कराना और उन्हें लागू करने में उनकी मदद करना।

(iii) समय-समय पर हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु सुझाव देना और उचित माध्यम से राजभाषा अनुभाग के साथ संपर्क बनाए रखना।

(iv) हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित करने के लिए संदर्भ एवं सहायक साहित्य तैयार करना और हिन्दी सीखने और सरकारी कामकाज में हिंदी का उपयोग करने में अधिकारियों एवं स्टॉफ की सहायता करना।

4. प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग में या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति के ठीक पहले धारित कोई अन्य संवर्ग-बाह्य पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि शामिल है, सामान्यतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

5. ऐसे अधिकारियों की पिछले **3** वर्षों की एसीआर/एपीएआर की अनुप्रमाणित प्रतियों के साथ संलग्न प्रोफार्मा (अनुबंध-I) में आवेदन **17.09.2017** को या उससे पहले प्रधान सचिव (प्रशासन), भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-**110001** को, केवल उचित माध्यम से, अग्रेषित किए जाएं जिन्हें उनका चयन होने की दशा में **15** दिनों के भीतर कार्यमुक्त किया जा सकता है। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त, उचित माध्यम के बिना प्राप्त या अन्यथा अपूर्ण पाए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

6. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.**6/8/2009**-स्था(वेतन-II) दिनांक **17.06.2010**, समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधों के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

7. ऐसे अधिकारी को, जो पद के लिए आवेदन करते हैं, बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग बिना कोई कारण बताए किसी भी समय परिपत्र वापस लेने/नियुक्ति प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

(बी.सी. पात्रा)
सचिव
दूरभाष: 23052079

प्रति: **(i)** भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को इस अनुरोध के साथ कि वे इसे अपने अधीनस्थ कार्यालयों/लोक उपक्रमों में परिचालित करें।

(ii) सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110001

बी. सी. पात्रा

सचिव

सं. 181/1/2016 (मांग) दिनांक: **17** अगस्त, 2017

<u>परिपत्र</u>

भारत निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से पे मैट्रिक्स के लेबल **7** [44,900-88,700] [समूह 'ख' अराजपत्रित, सामान्य केन्द्रीय सेवा] में **02 (दो)** सहायक अनुभाग अधिकारियों की सेवाएं प्रतिनियुक्ति आधार पर प्राप्त करने का प्रस्ताव करता है :-

केन्द्र सरकार के अंतर्गत ऐसे अधिकारी :-

क. (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद का धारण करते हों; अथवा

(ii) पे मैट्रिक्स के लेवल **4** [रू. **25,500-50,400**], (पे बैंड-**1**, रू.**5200**-20200 ग्रेड पे रू. **2400**- संशोधन-पूर्व) में पद पर पांच वर्षों की नियमित सेवा की हो।

और

ख. स्थापना या निर्वाचन मामलों में दो वर्षों का अनुभव रखते हों।

2. प्रतिनियुक्ति की प्रारंम्भिक अवधि <u>एक वर्ष</u> की होगी जो आयोग में सेवाओं की जरूरत रहने तक बढ़ाई जा सकती है।

3. प्रतिनियुक्ति पर चयनित अधिकारी का वेतन एवं शर्तें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के का.ज्ञा. सं.**6/8/2009**-स्था(वेतन-II) दिनांक 17.06.2010, समय-समय पर यथासंशोधित, में निहित उपबंधो के अनुसार विनियमित की जाएंगी।

4. ऐसे पात्र एवं इच्छुक व्यक्ति, जिनकी सेवाएं उनके मूल कार्यालय द्वारा तत्काल छोड़ी जा सकती है। वे विहित फार्मेट (अनुबंध-I) में उचित माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को **16.09.2017** तक आवेदन कर सकते हैं।

5. विहित फार्मेट में आवेदन अग्रेषित करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हों :-

(i) संबंधित व्यक्ति के पिछले तीन वर्षो की चरित्र पंजी की अनुप्रमाणित प्रतियां।

(ii) सतर्कता निकासी एवं सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र।

(iii) पिछले दस वर्षो के दौरान अधिरोपित शास्त्रियों यदि कोई हो, का विवरण।

6. चयन आयोग द्वारा आयोजित साक्षात्कार/वैयक्तिक बात-चीत में अर्हता प्राप्त करने पर आधारित होगा। चयनित अभ्यर्थियों को बाद में अपनी अभ्यर्थिता वापस लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साक्षात्कार/ वैयक्तिक बातचीत के लिए किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/महंगाई भत्ता या अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा।

7. अपूर्ण आवेदनों, चाहे वे किसी भी रूप में हो, पर विचार नहीं किया जाएगा।

(बी.सी.पात्रा)

<u>सभी मंत्रालय/विभाग भारत सरकार के</u>